तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
17.5.22	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। बहस सुनी गई। आदेश अलग से लिखा जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी, गुढ़ामालानी

रहवा
ज्या 1
यर व खस
ई हुई है। प्रा
खेत खसरा नम्ब
करते वक्त हल्का
करदी इसलिये इ
पत्र श्रीमान के न्यायालय

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 16:03:25 IST
Reason: SelfAttested

था पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी
था। विप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :– 140/2021

प्रार्थीगण

1. खीमाराम पुत्र मोबाराम
2. घमण्डाराम पुत्र मोबाराम

जाति भील निवासी भाखरपुरा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1. मोडूराम पुत्र कुण्टाराम
2. गवरी पत्नी कुण्टाराम
3. बाबूराम पुत्र मानाराम
4. आदूराम पुत्र मानाराम
5. नवाराम पुत्र मनजीराम
6. प्रहलादराम पुत्रमनजीराम
7. श्रवण कुमार पुत्र मनजीराम

   जाति भील निवासी भाखरपुरा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
8. तहसीलदार गुड़ामालानी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 17/5/22

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बाबत् तरमीम दुरस्ती का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 78 रकबा 1.1412 हैक्टेर की सरहद मौजा भाखरपुरा पटवार क्षेत्र भाखरपुरा तहसील गुड़ामालानी में आई हुई है, जिसमें प्रार्थीगण की रहवासी ढाणीं टांके आदि बने हुए हैं, इसी के सेढा–सेढ विप्रार्थीगण संख्या 1 से 7 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 78/1 रकबा 0.9227 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 160 रकबा 0.2104 हैक्टेयर मौजा भाखरपुरा की आई हुई है। प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण संख्या 1 से 7 व उनके पूर्वजों ने मूल खेत खसरा नम्बर 78 से ही विभाजन करवाया गया था, जिसकी तरमीम करते वक्त हल्का पटवारी द्वारा कब्जा काश्त से हटकर अन्यत्र तरमीम करदी गई। इसलिये इस गलत तरमीक की दुरूस्ती हेतु उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान के न्यायालय में लाना आवश्यक होने से पेश किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 16:03:25 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण [illegible] रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। [illegible] की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा प्रार्थीगण [illegible] माफिक कब्जा–काश्त तरमीम दुरूस्त करने का लिखित [illegible] कथन किया। विप्रार्थी संख्या 8 तहसीलदार गुड़ामालानी ने अपनी रिपोट क्रमांक 786 दिनांक 10.05.2022

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी